

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

// विज्ञापन //

क्रमांक : 3193

दिनांक : 19/3/2010


विश्वविद्यालय में वाहन किराये पर लेने हेतु रजिस्टर्ड एजेंसीज से दरें आमंत्रित की जाती हैं। दरें सीलड लिफाफे में दिनांक 29.03.2010 तक उपकुलसचिव (वाहन) कार्यालय गोपनीय विभाग में जमा करें। दरों से संबंधित शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.jiwaji.edu](http://www.jiwaji.edu) पर उपलब्ध हैं।



कुलसचिव

प्रति,

1. संचालक अर्चिता एडवटाइजर, ग्वालियर की ओर भेज कर निवेदन है कि उपरोक्त विज्ञापन दैनिक नई दुनिया एवं बी.पी. एन टाइम्स समाचार पत्र में न्यूनतम साइज में प्रकाशित करा कर देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. उप कुलसचिव (वाहन), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



जनसम्पर्क अधिकारी

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

/ / वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें / /

1. वाहन 2008 से पूर्व के मॉडल का न हो।
2. आगामी वित्तीय वर्ष के लिये वाहन का जीवित रजिस्ट्रेशन एवं इंश्योरेन्स होना अनिवार्य है।
3. वाहन चालक का वैध ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।
4. वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मान्य दरें वित्तीय वर्ष के लिये प्रभावी रहेंगी।
5. वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु (आठ सीटर) ए.सी. एवं नोन ए.सी. वाहनों के लिये पृथक-पृथक दरें उल्लेखित करनी होंगी।
6. दरों में न्यूनतम वाहन चालन हेतु लगायी जाने वाली दर का स्पष्ट उल्लेख करें तथा दरों में प्रतिकिलो मीटर की दर का भी उल्लेख करें।
7. दरों में अधिकतम समय सीमा तक रोके जाने हेतु भी स्पष्ट उल्लेख करें अधिकतम समय सीमा के बाद रोके जाने की स्थिति में यदि कोई अन्य प्रभार लागू किया जाना हो तो उसका भी पृथक से उल्लेख करें।
8. किराये का भुगतान सामान्यतः एक सप्ताह उपरांत किया जावेगा।
9. वाहन अल्पावधि की सूचना पर उपलब्ध कराने होंगे।
10. विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार 1-5 वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
11. किराये के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अन्य किसी भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
12. वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी शासन से पंजीकृत होनी चाहिये तथा एजेंसी का पंजीयन वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये वैध होना चाहिये।
13. अधिकृत एजेंसी शासन के अन्य विभागों यथा आर टी ओ/इनकम टैक्स इत्यादि से मान्यता/पंजीयन होना चाहिये।



कुलसचिव